प्रेस विज्ञप्ति

दिनांक 29.10.2018

मध्यप्रदेश विधानसभा निर्वाचन 2018 हेतु प्रदेश के 51 जिलों में 8795 सेक्टर ऑफिसर को दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 (क्रमांक 2 सन् 1974) की धारा 21 के तहत विशेष कार्यपालक दण्डाधिकारी की शक्तियां मध्यप्रदेश के राज्यपाल की अनुशंसा से विधि एवं विधायी कार्य विभाग के द्वारा प्रदत्त की गई है।

प्रेस विज्ञप्ति

दिनांक 29.10.2018

निर्वाचन आयोग द्वारा घोषित कार्यक्रम के अनुसार मतदान दिनांक 28.11.2018 को कराया जावेगा, जो समस्त विधान सभा क्षेत्रों में प्रातः 8 बजे से सांय 5 बजे तक (**जिला बालाघाट के 108–बैहर (अजजा), 109–लांजी एवं 110–परसवाड़ा विधान सभा क्षेत्र को छोड़कर)** संपन्न कराया जावेगा। 108–बैहर (अजजा), 109–लांजी एवं 110–परसवाड़ा विधान सभा क्षेत्र में मतदान का समय प्रातः 7 बजे से अपरान्ह 3 बजे तक रहेगा।

प्रेस विज्ञप्ति

विधानसभा निर्वाचन 2018 अंतर्गत प्राप्त हो रही शिकायतों के निराकरण की प्रभावी व्यवस्था सुनिश्चित की जा रही है । राज्य स्तर पर संचालित कॉल सेंटर का टोल फ्री नम्बर 1950 है जो 24X7 घण्टे काम करता है । वर्तमान में कॉल सेंटर के माध्यम से प्राप्त हो रही शिकायतें नेशनल ग्रेवियेंस सर्विसेज पोर्टल पर दर्ज की जा रही हैं । प्रत्येक जिले में जिला कॉन्टेक्ट सेंटर कार्यरत है जो एनजीएस पोर्टल पर प्राप्त हो रही शिकायतों की प्रतिदिन मॉनीटरिंग कर रहा है । इसके अतिरिक्त मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी कार्यालय को प्राप्त हो रही शिकायतों को भी डिजिटाइज कर समय सीमा में निराकरण किया जा रहा है।

राजनैतिक दलों द्वारा की जा रही शिकायतों के संधारण हेतु मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी म0प्र0 की वेवसाइट पर पृथक से माड्यूल तैयार किया गया है जिसके माध्यम से राजनैतिक दलों द्वारा की गयी शिकायतों के निराकरण की स्थिति उनके द्वारा वेवसाइट पर देखी जा सकती है ।

// प्रेस नोट //

विषय : **विधानसभा निर्वाचन 2018 हेतु प्रत्येक परिवार को वितरित की जावेगी "मतदाता मार्गदर्शिका" (वोटर गाइड)**

भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार आगामी विधानसभा निर्वाचन 2018 हेतु प्रदेश के प्रत्येक परिवार के लिए मतदाता मार्गदर्शिका (वोटर गाइड) तैयार की गई है, जो निर्वाचन से पूर्व मध्यप्रदेश के लगभग 1.25 करोड़ घरों में रहने वाले समस्त परिवारों को घर-घर जाकर बीएलओ (बूथ लेवर ऑफिसर) के माध्यम से वितरित की जावेगी।

सुव्यवस्थित मतदाता शिक्षा और निर्वाचक सहभागिता (स्वीप) की दृष्टि से मतदाताओं को जागरूक करने और निर्वाचन प्रक्रिया से भलिभाँति अवगत कराने हेतु "मतदाता मार्गदर्शिका" (वोटर गाइड) का वितरण किया जावेगा। इस मतदाता मार्गदर्शिका (वोटर गाइड) में "मतदान कैसे करें" तथा मतदान हेतु "अनुमोदित पहचान अभिलेख" क्या होंगे, इस संबंध में विस्तृत जानकारी प्रदान की जावेगी। साथ ही ई.वी.एम. और वीवीपैट का उपयोग करते हुए अपना वोट देने की प्रक्रिया भी बताई जावेगी। मतदान केन्द्र के आस-पास एवं मतदान के दौरान "क्या करें" और "क्या नहीं करें" के संबंध में मतदाताओं को जानकारी प्रदान की जावेगी। मतदाता मार्गदर्शिका के माध्यम से मतदान केन्द्रों पर उपलब्ध आधारभूत सुविधाओं की जानकारी भी मतदाताओं को दी जावेगी। इस मतदाता मार्गदर्शिका में मतदाता की जानकारी हेतु मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी कार्यालय की वेबसाइट एवं हेल्पलाईन के साथ-साथ अन्य महत्वपूर्ण नम्बर एवं पोर्टल की जानकारी भी प्रदान की जावेगी। मतदाता सूची में अपना नाम ढूंढने तथा अपना पोलिंग स्टेशन पहचानने के लिए भी मतदाता को शिक्षित करने हेतु मतदाता मार्गदर्शिका में वेबसाइट एवं पोर्टल की जानकारी प्रदान की जावेगी।

प्रेस विज्ञप्ति

दिनांक 29.10.2018

प्रेक्षक (Observer)

- सामान्य प्रेक्षक, पुलिस प्रेक्षक, निर्वाचन व्यय प्रेक्षक एवं **Accessibility Observer** की तैनाती आयोग द्वारा कर दी गई है।
- संख्या :–

  सामान्य प्रेक्षक 198, पुलिस प्रेक्षक 35, एवं निर्वाचन व्यय प्रेक्षक 127
- नाम निर्देशन के अंतिम दिनांक अर्थात् 09.11.2018 के पूर्व प्रेक्षक को उन्हें आबंटित विधानसभाओं में पहुचना होगा।
- **Accessibility observers** जिसमें 3 अधिकारियों की तैनाती आयोग द्वारा की गई है ।
- राज्य स्तर एवं जिला स्तर पर प्रक्षेक नोडल की नियुक्ति की गई है ।
- सभी प्रेक्षकों को स्थानीय सम्पर्क नम्बर दिये जायेंगे, जिसके बारे में रिटर्निंग अधिकारी/जिला निर्वाचन अधिकारियों के द्वारा सभी राजनैतिक दल एवं अभ्यर्थियों को भी बताया जायेगा।